स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ, राजस्थान
के द्वारा अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव

दिनांक : 15.12.2015

राजस्थान गैर– सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम,1989'
(1992 का अधिनियम संख्या 19)
के विद्यमान प्रावधानों में प्रस्तावित संशोधन एवं उनका औचित्य

धारा	विद्यमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित संशोधन का औचित्य	संघ का प्रस्ताव	कारण
	अध्याय–1 प्रारंभिक				
1.	**संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ**	---------------			
	(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 है।	राजस्थान गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था, (संशोधन) अधिनियम, 2015	----	सहमत	
	(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में है।	इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में है।	----		
	(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत होगा जिसे राज्य सरकार राज–पत्र में अधिसूचना द्वारा नियम करें और अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियम की जा सकेंगी तथा उसके किसी भी उपबन्ध के सम्बन्ध में, उसके प्रारम्भ के प्रति किसी भी निर्देश का अर्थ उस तारीख के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायेगा जिसको वह उपबन्ध प्रवृत होता है।	यह ऐसी तारीख को प्रवृत होगा जिसे राज्य सरकार राज–पत्र में अधिसूचना द्वारा **नियत** करें और अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें **नियत** की जा सकेंगी।	----		
2.	**परिभाषाऐं:–** जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में–	---------------			
	(क) ''सहायता'' से राज्य सरकार द्वारा, किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था को दी गई कोई भी सहायता अभिप्रेत है:	धारा 2 की उपधारा (क) को विलोपित किया जायेगा।	सहायता/अनुदान बंद हो जाने के कारण		
	(ख) ''सहायता प्राप्त संस्था'' से ऐसी कोई मान्यता प्राप्त संस्था अभिप्रेत हैं जो राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान के रूप में सहायता प्राप्त कर रही है:	धारा 2 की उपधारा (ख) को विलोपित किया जायेगा।	सहायता/अनुदान बंद हो जाने के कारण		
	(ग) ''बोर्ड'' से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली अभिप्रेत है और इसमें काउन्सिल फार दी इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन्स सम्मिलित है।	'धारा 2 की उपधारा (ग) मे विद्यमान अभिव्यक्ति **''केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली''** के पश्चात तथा ''अभिप्रेत'' से पहले '' **अर्न्तराष्ट्रीय बोर्ड''** अभिव्यक्ति अन्तःस्थापित की जायेगी।	अर्न्तराष्ट्रीय बोर्ड का संचालन होने के कारण	सरकार का प्रस्ताव अस्वीकार	स्वदेशी बोर्डों को प्रोत्साहन
	(घ) ''प्रतिकरात्मक भत्ता'' से ऐसे वैयक्तिक व्यय की पूर्ति	धारा 2 की उपधारा (घ) को विलोपित किया	वर्तमान में देय नही है।		

				संघ का प्रस्ताव	कारण
	करने के लिए दिया गया कोई भत्ता अभिप्रेत है, जो उन विशेष परिस्थितियों में आवश्यक हो जिनमें कर्तव्यपालन किया जाये और इसमें कोई यात्रा भत्ता सम्मिलित होगा किन्तु कोई सत्कार भत्ता या भारत के बाहर से किसी भी स्थान तक या से निःशुल्क यात्रा अनुदान सम्मिलित नहीं होगा:	जायेगा।			
	(ड)''सक्षम प्राधिकारी'' से राज्य सरकार द्वारा, ऐसे क्षेत्र के लिये या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं के ऐसे वर्ग के सम्बन्ध में, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहण करने के लिए अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है:	------------			
	(च) ''शिक्षा निदेशक'' से अभिप्रेत है,–				
	(i)स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों और तत्समान या उच्चतर अध्ययन की उन शैक्षिक संस्थाओं के संबंध में, जो संस्कृत और तकनीकी शिक्षा की संस्थाओं से भिन्न हैं, निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा राजस्थान:	------------			
	(ii) संस्कृत शिक्षा की संस्थाओं के संबंध में, निदेशक, संस्कृत शिक्षा राजस्थान:	------------			
	(iii) तकनीकी शिक्षा की संस्थाओं के सम्बन्ध में, निदेशक, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान:	------------			
	(iv) विद्यालयों और उप–खण्ड (i) (ii)और (iii)में निर्दिष्ट से भिन्न संस्थाओं के सम्बन्ध में निदेशक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा राजस्थान ;	**धारा 2 की उपधारा (च) के उपखण्ड** (iv) में अभिव्यक्ति **''निदेशक प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा राजस्थान''** के स्थान पर **''प्रारम्भिक शिक्षा के लिये निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान और माध्यमिक शिक्षा के लिये निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान''** प्रतिस्थापित की जायेगी।	पृथक – पृथक निदेशालय, कार्यक्षैत्र एवं सक्षमता होने के कारण।	सहमत	

				संघ का प्रस्ताव	कारण
	स्पष्टीकरणः– शिक्षा निदेशक में, इस अधिनियम के अधीन शिक्षा निदेशक के सभी या किन्हीं कृत्यों का निर्वहण करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी सम्मिलित् होगा,	-------------			
	(छ)''जिला शिक्षा अधिकारी'' में बालिका संस्थाओं के सम्बन्ध में, जिला शिक्षा अधिकारी (बालिका)और ऐसे किसी भी अधिकारी के कृत्यों का निर्वहण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत और अन्य अधिकारी भी सम्मिलित है:	**धारा 2 की उपधारा (छ) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''बालिका संस्थाओं के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी (बालिका)''** के स्थान पर अभिव्यक्ति **''जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा और जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा ''** प्रतिस्थापित की जायेगी।	वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी (बालिका) का पद विद्यमान नही होने के कारण	सहमत	
	(ज)''शैक्षिक सोसायटी'' या ''शैक्षिक एजेन्सी'' से किसी मान्यता प्राप्त गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था को स्थापित या अनुरक्षित करने के लिए अनुज्ञात कोई न्यास, व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है:	-------------			
	(झ)''कर्मचारी'' में किसी मान्यता प्राप्त संस्था में काम करने वाला कोई अध्यापक और प्रत्येक अन्य कर्मचारी सम्मिलित है:	-------------			
	(ञ)''विद्यमान संस्था'' से इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व स्थापित और ऐसे प्रारम्भ के समय इस रूप में चल रही कोई मान्यता प्राप्त संस्था अभिप्रेत है:	-------------			
	(ट) ''संस्था का प्रधान'' से किसी संस्था का किसी भी नाम से जाना जाने वाला प्रधान शैक्षिक अधिकारी अभिप्रेत है:	-------------			
	(ठ)''संस्था:: में किसी शैक्षिक संस्था से सम्बन्धित सभी जंगम और स्थावर सम्पत्तियां सम्मिलित है:	-------------			
	(ड) ''संयुक्त निदेशक'' या उप–निदेशक में किसी संयुक्त निदेशक या किसी उप–निदेशक के कृत्यों का निर्वहण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी सम्मिलित है:	-------------			
	(ढ)''अनुरक्षण अनुदान'' से किसी संस्था को दिया गया ऐसा आवर्ती सहायता–अनुदान अभिप्रेत है जिसके ऐसे अनुदान	धारा 2 की उपधारा (ढ) को विलोपित किया जायेगा।	अनुदान/ सहायता बन्द होने के कारण	सहमत	

				संघ का प्रस्ताव	कारण
	के रूप में माने जाने का निर्देश राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा दें:				
	(ण)किसी संस्था के सम्बन्ध में ''प्रबन्ध'' या ''प्रबन्ध समिति'' से धारा 9 के अधीन गठित प्रबन्ध समिति अभिप्रेत है और इसमें सचिव या किसी भी से नाम पदामिहित कोई ऐसा अन्य व्यक्ति सम्मिलित है, जिसमें संस्था के कामकाज का प्रबन्ध और संचालन करने का प्राधिकारी निहित किया गया है:	-------------			
	(त)''गैर सरकारी शैक्षिक संस्था'' में ऐसा कोई महाविद्यालय, विद्यालय, प्रशिक्षण संस्था या किसी भी नाम से अभिहित कोई भी अन्य संस्था अभिप्रेत है जो शिक्षा देने या राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य कोई प्रमाण–पत्र , डिग्री, डिप्लोमो, या कोई शैक्षिक विशिष्टता अभिप्राप्त करने के लिए छात्रों को तैयार करने या प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से स्थापित की गयी और चलायी जाती हो या जो राज्य के लोगों के शैक्षिक, सांस्कृतिक या शारीरिक विकास के लिए कार्य कर रही हो और जो राज्य और केन्द्रीय सरकार या किसी भी विश्वविद्यालय या स्थानीय प्राधिकरण या राज्य या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण के अधीन के किसी अन्य प्राधिकरण के न तो स्वामित्वाधीन हो और न उसके द्वारा प्रबन्धित।	-------------			
	(थ)''मान्यता प्राप्त संस्था'' से किसी भी विश्वद्यिालय से सम्बद्ध अथवा बोर्ड, शिक्षा निदेशक या राज्य सरकार अथवा शिक्षा निदेशक के द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी भी अधिकारी के द्वारा मान्य कोई गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था अभिप्रेत है:	-------------			
	(द)''वेतन'' से किसी कर्मचारी की कुल परिलब्धियां अभिप्रेत है जिनमें उसे तत्समय संदये मंहगाई भत्ता या कोई भी अन्य भत्ता या अनुतोष सम्मिलित है। किन्तु प्रतिकरात्मक	**धारा 2 की उपधारा (द) में अभिव्यक्ति ''किन्तु प्रतिकरात्मक भत्ता सम्मिलित नही है''** को विलोपित किया जायेगा	वर्तमान मे लागू नही है	सहमत	

				संघ का प्रस्ताव	कारण
	भत्ता सम्मिलित नहीं हैः				
	(ध)''मंजूरी प्राधिकारी'' से तात्पर्य उस अधिकारी से होगा जिसे राज्य सरकार अनुदान स्वीकृत करने हेतु प्राधिकृत करें, ऐसी मान्यता प्राप्त, शैक्षिक संस्थाओं को, जिन्हें राज्य सरकार विहित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार समय–समय पर विनिर्दिष्ट करें, अभिप्रेत हैः	धारा 2 की उपधारा (ध) को विलोपित किया जायेगा।	वर्तमान में अनुदान/सहायता बन्द होने के कारण	सहमत	
	(न)''राज्य सरकार'' से राजस्थान राज्य की सरकार अभिप्रेत हैः	------------			
	(प)''अध्यापक'' से कोई आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और किसी गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था में शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान करने वाला या अनुसंधान का किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन और मार्गदर्शन करने वाला किसी भी नाम से अभिहित कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें संस्था का प्रधान सम्मिलित हैः और	धारा 2 की उपधारा (प) में अभिव्यक्ति ''प्राध्यापक'' के पश्चात तथा ''और'' से पहले **''वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक''** अभिव्यक्ति अन्तःस्थापित की जायेगी।	नये पदो के सृजन होने के कारण।	सहमत	
	(फ)''विश्वविद्यालय'' से राजस्थान राज्य में विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय अभिप्रेत है।	-----------			
	(ब)------------	धारा 2 की उपधारा (ब) के रूप में यह अन्तःस्थापित किया जायेगा कि '' **''अधिकरण'' से इस अधिनियम की धारा 22 के अधीन गठित अधिकरण अभिप्रेत है। ''**	पूर्व में परिभाषित नही होना	सहमत	
अध्याय–2 मान्यता, उसका इन्कार किया जाना और वापस लिया जाना					
3.	**संस्थाओं की मान्यता**	----------			
	(1)---------	धारा 3 की उपधारा (1)के अन्त में परन्तुक अन्तःस्थापित की जायेगी कि कोई भी शैक्षिक संस्था ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में जो विहित की जाये, कोई आवेदन करके मान्यता प्रमाण–पत्र अभिप्राप्त किये बिना न तो स्थापित की जायेगी और न ही कार्य करेगी। कोई व्यक्ति जो मान्यता प्रमाण–पत्र अभिप्राप्त किये बिना कोई गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था स्थापित	बिना मान्यता शैक्षणिक संस्था संचालन को हतोत्साहित करने के लिए	जोड़ने की आवश्यकता नहीं	मूल अधिकार के कारण

				संघ का प्रस्ताव	कारण
		करता है या चलाता है या मान्यता वापस लेने के पश्चात गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था चलाना जारी रखता है, जुर्माने से जो एक लाख रूपये तक अथवा दो वर्ष तक कारावास अथवा दोनो हो सकेगा और निरन्तर उलंधन की दशा में जुर्माने से जो प्रत्येक दिन के लिये, जिसके दौरान ऐसा उलंघन जारी रहता है, दस हजार रूपये तक का हो सकेगा, दायी होगा।"			
	(1) किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या बोर्ड द्वारा मान्यता या मान्यता की जाने वाली संस्थाओं के मामले को छोडकर सक्षम अधिकारी विहित प्रारूप और रीति से उसे किये गये किसी आवेदन पर, ऐसे निबन्धन और शर्ते, जो विहित की जाये, पूरी करने पर, किसी गैर सरकारी शैक्षिक संस्था को मान्यता दे सकेगा। परन्तु किसी भी संस्था को तब तक मान्यता नहीं दी जायेगी जब तक वह राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं हों, या वह राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 42) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी लोक न्याय द्वारा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम सं.2) के उपबन्धों के अनुसार सृजित किसी न्यास द्वारा न चलायी जाती हो।	परन्तुक के रुप में यह अभिव्यक्ति अन्तःस्थापित की जायेगी कि " यदि संस्था में कक्षा 1 से 8 संचालित है, तो उस संस्था को तब तक मान्यता अनुदत नहीं की जायेगी जब तक कि संस्था निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुसूची में उल्लेखित विद्यालय के लिये मान एवं मानकों को पूर्ण नहीं करती हो।"	आर.टी.ई. के प्रावधानों की पालना हेतु अन्तःस्थापित।	सहमत	

				संघ का प्रस्ताव	कारण
	(2) किसी संस्था की मान्यता के लिए प्रत्येक आवेदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा गृहीत किया जायेगा और उसके द्वारा उस पर विचार किया जायेगा और उस पर के विनिश्चय की संसूचना आवेदक को आवेदन की प्राप्ति की तारीख से छः मास की कालावधि के भीतर–भीतर दी जायेगी और जहां मान्यता देने से इन्कार किया जाये वहां आवेदक को उक्त कालावधि के भीतर–भीतर उसके कारण भी संसूचित किये जायेंगें।	विद्यमान अभिव्यक्ति " की तारीख से छः मास" के स्थान पर " के पश्चात् या ऑनलाईन आवेदन करने पर आवेदन की तारीख से तीन मास" अभिव्यक्ति जोड़ी एवं प्रतिस्थापित की जायेगी।	आनलाईन की प्रक्रिया प्रारंभ करने व अवधि अधिक होने के कारण	सहमत	
4.	**मान्यता के इन्कार के विरूद्ध अपील–**	————————		सहमत	
	(1) जहां किसी संस्था की मान्यता से इन्कार किया जाये वहां ऐसे इन्कार से व्यथित कोई भी व्यक्ति उसे ऐसे इन्कार की संसूचना दिये जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर–भीतर, ऐसे इन्कार के विरूद्ध ऐसे प्राधिकारी को, जिसे कि विहित किया जाये, विहित रीति से अपील कर सकेगा।	————————			
	(2) उप–धारा (1) के अधीन की गई किसी अपील की सुनवाई पर उक्त प्राधिकारी अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात उस आदेश को जिसके कि विरूद्ध अपील की गयी हैं, पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगा या उसे उलट सकेगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।	————————		सहमत	
5.	**मान्यता का वापस लिया जाना–** जहां किसी संस्था का प्रबंध, कपट या दुर्व्यपदेशन से या तात्विक विशिष्टयों को छिपाकर मान्यता प्राप्त करता है या जहां मान्यता प्राप्त करने के पश्चात कोई संस्था धारा 3 के उप –धारा(I)के अधीन विहित किन्हीं भी निबंधनों और शर्तो का पालन करने में विफल रहती है वहां मान्यता देने वाला सक्षम प्राधिकारी	धारा 5 के अन्त में अभिव्यक्ति " मान्यता वापस ले सकेगा" के पश्चात अभिव्यक्ति "आपराधिक कृत्य के लिए दण्डात्मक कार्यवाही कर सकेगा" अन्तःस्थापित की जायेगी।	आर.टी.ई. के प्रावधानों की पालना हेतु	अस्वीकार	

				संघ का प्रस्ताव	कारण
	ऐसे प्रबन्धन को प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण बताने का समुचित अवसर देने के पश्चात मान्यता वापस ले सकेगा।				
6	**मान्यता के वापस लिये जाने के विरूद्ध अपील–**	————————		सहमत	
	(1) जहां किसी संस्था की मान्यता वापस ले ली गयी हो वहां ऐसी वापसी से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसी वापसी की उसे संसूचना होने की तारीख से तीस दिन के भीतर ,ऐसी वापसी के विरूद्ध ऐसे प्राधिकारी को , जिसे कि विहित किया जायें , विहित रीति से अपील कर सकेगा ।	————————			
	(2) उप–धारा (1) के अधीन की गयी अपील की सुनवाई पर उक्त प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात , उस आदेश को , जिसके कि विरूद्ध अपील की गयी है ,पुष्ट या उपांतरित कर सकेगा या उलट सकेगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।	————————			
	अध्याय–3 अनुदान, लेखें और संपरीक्षा				
7	**मान्यता प्राप्त संस्थाओं को अनुदान**			सहमत	
	(1)–				
	(2) अमान्य संस्थाएं कोई भी अनुदान प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी		वर्तमान में अनुदान/सहायता बंद होने के कारण।		
	(3) ऐसे निबन्धों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो कि विहित किये जायें, मंजूरी प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जैसी की विहित की जाये, मान्यता प्राप्त संस्थाओं को समय–समय पर अनुदान मंजूर और वितरित कर सकेगा।	धारा 7 को विलोपित किया जायेगा			
	(4) अनुदान के अन्तर्गत संस्था के व्यय का इतना भाग हो सकेगा जितना कि विहित किया जावे।				
	(5) किसी संस्था के कर्मचारियों के वेतन के लिए दी गई अनुदान में से किसी भी रकम का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।				

				संघ का प्रस्ताव	कारण
	(6) मंजूरी प्राधिकारी इस निमित– विहित किन्हीं भी निबन्धनों और शर्तों का भंग होने पर अनुदान को बन्द कम या निलम्बित कर सकेगा।				
	(7) अनुदान की रकम सामान्यतः किसी संस्था की प्रबन्ध समिति के सचिव को संदत्त की जा सकेगी किन्तु विशेष परिस्थिति में और लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से ऐसी रकम शिक्षा निदेशक के द्वारा या उसके द्वारा निमित सशक्त किये गये किसी भी अन्य अधिकारी के द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को संदत्त की जा सकेगी।				
8.	**लेखें और संपरीक्षा–**	————————			
	(1) प्रत्येक अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था ऐसी रीति से लेखे रखेगी और उसमें ऐसी विशिष्टियों होंगी जो विहित की जायें।	धारा 8 की उपधारा (1) के प्रारंभ में अभिव्यक्ति "प्रत्येक" के पश्चात् विद्यमान अभिव्यक्ति "अनुदान प्राप्त करने वाली" के स्थान पर "मान्यता प्राप्त" अभिव्यक्ति प्रतिस्थापित की जायेगी।	वर्तमान में अनुदान/सहायता बन्द होने के कारण	विलोपित	
	(2) प्रत्येक अनुदान प्राप्त संस्था के लेखों की संपरीक्षा प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अन्त में ऐसी रीति से की जायेगी जो विहित की जाये।	धारा 8 की उपधारा (2) के प्रारंभ में अभिव्यक्ति "प्रत्येक" के पश्चात "अनुदान प्राप्त" अभिव्यक्ति के स्थान पर "मान्यता प्राप्त" अभिव्यक्ति प्रतिस्थापित की जायेगी।	वर्तमान में अनुदान/सहायता बन्द होने के कारण	विलोपित	
	(3) प्रबन्ध का सचिव शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति से छः मास भीतर–भीतर संपरीक्षा रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।	————————			
	अध्याय–4 प्रबन्ध समिति				
9.	**प्रबन्ध समिति का गठन**	————————			
	(1) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था के लिये एक प्रबन्ध समिति गठित की जायेगी	————————			
	(2) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था की प्रबन्ध समिति अपने सदस्यों में से ही एक सचिव निर्वाचित करेगी। संस्था का	————————			

				संघ का प्रस्ताव	कारण
	कोई कर्मचारी न तो सचिव होगा, न ही कोषाध्यक्ष।			विलोपित	
	(3) सचिव ऐसे कृत्यों का निर्वहन और ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा, जो विहित किये जायें।	————			
10.	**राज्य सरकार की प्रबन्ध ग्रहण करने की शक्ति –**	————		विलोपित	अनुदानित नहीं होने के कारण
	(1) तत्समय प्रवृत किसी विधि में किसी बात होते हुए भी राज्य सरकार को जब कभी ऐसा प्रतीत हो कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था की प्रबन्ध समिति ने इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के द्वारा या अधीन उसे समनुदेशित किन्हीं भी कृर्तव्यों के निर्वहन में उपेक्षा की है या व संस्था का समुचित रूप से प्रबन्ध करने में विफल रही और यह कि संस्था का प्रबंध ग्रहण करना लोकहित में आवश्यक हो गया है तो वह ऐसी संस्था की प्रबन्ध समिति को प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्ति–युक्त अवसर देने के पश्चात ऐसे प्रबन्ध को ग्रहण कर लेगी और ऐसी कालावधि के लिये जो राज्य सरकार समय–समय पर नियत करें, संस्था के आस्तियां पर नियंत्रण रखने तथा संस्था को चलाने के लिये प्रशासक नियुक्त कर सकेंगी।	————			
	(2) जहां, उप–धारा (1) के अधीन नियत कालावधि की समाप्ति के पूर्व राज्य सरकार की यह राय हो की संस्था का प्रबन्ध प्रशासक द्वारा चलाये जाते रहना आवश्यक नहीं है, वहां प्रबन्ध समिति को प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।	————			
	अध्याय–5 सम्पतियां,अन्तरण और बंद किया जाना				
11.	**संस्थाओं की सम्पतियों का प्रशासन एवं प्रबन्धः–** प्रबन्ध समिति का सचिव या इस निमित्त प्रबन्ध समिति के द्वारा किसी संकल्प द्वारा सम्यक् रुप से प्राधिकृत कोई भी अन्य व्यक्ति प्रबन्ध समिति की ओर से किसी	————————			

				संघ का प्रस्ताव	कारण
	मान्यता प्राप्त संस्था की सम्पत्तियां और आस्तियों का प्रबन्ध एवं प्रशासन करेगा।				
12.	**सम्पतियों का वार्षिक विवरण:–** प्रत्येक वर्ष मुई के प्रथम दिन या उससे पूर्व किसी भी सहायता प्राप्त संस्था की प्रबन्ध समिति का सचिव ऐसे अधिकारी को जिसे शिक्षा निदेशक इस निमित्त प्राधिकृत करें, ऐसी संस्था से संबंधित या उसके कब्जे मे की या ऐसी जिनमे उसका कोई अन्य हित हो, समस्त स्थावर सम्पतियों की एक सूची ऐसी विशिष्टीयों सहित, जो की विहित की जाये, अन्तर्विष्ट करने वाला एक विवरण प्रस्तुत करेगा।	धारा 12 के प्रारंभ में विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रत्येक वर्ष" के पश्चात अभिव्यक्ति "मुई" के स्थान पर अभिव्यक्ति "जुलाई" तथा विद्यमान अभिव्यक्ति " उससे पूर्व किसी भी" के पश्चात अभिव्यक्ति "सहायता" के स्थान पर अभिव्यक्ति " मान्यता" प्रतिस्थापित की जायेगी।	सहायता बन्द होने तथा लेखों की परीक्षा (ऑडिट) हेतु तीन माह का समय निर्धारित किये जाने हेतु।	विलोपित	अनुदानित नहीं होने के कारण
13.	**प्रबन्ध के अन्तरण का पूर्व अनुमोदन:–**	————————		सहमत	
	(1) जब कभी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रबन्ध का अन्तरण किया जाना प्रस्तावित हो तो सचिव और वह व्यक्ति, जिसे प्रबन्ध अन्तरित किया जाना प्रस्तावित है, अन्तरण के अनुमोदन के लिए, ऐसे अन्तरण के पूर्व सक्षम प्राधिकारी को संयुक्त रुप से आवेदन करेगे। (2) उपधारा–(1) के अधीन किया गया कोई आवेदन ऐसे प्ररुप में किया जावेगा और उसमे ऐसी विशिष्टियां होगी, जो विहित की जाये। (3) सक्षम प्राधिकारी उपधारा– (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर और ऐसी जॉच, जैसी की वह उचित समझे, करने के पश्चात प्रस्तावित अन्तरण का, ऐसी शर्तो के अध्याधीन , जैसी की अधिरोपित करे, अनुमोदन कर सकेगा या ऐसे अन्तरण का अनुमोदन करने से इन्कार कर सकेगा। परन्तु अनुमोदन से तब तक इन्कार नही किया जावेगा जब तक कि आवेदको को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो और ऐसे इन्कार के कारण अभिलिखित न कर दिया गया हो।	———————— ———————— ———————— ————————			

				संघ का प्रस्ताव	कारण
	परन्तु यह और कि जहॉ आवेदन करने की तारीख से छः माह के भीतर आवेदन का निपटारा नही किया जावे, वहां ऐसा अनुमोदन किया हुआ माना जावेगा।	धारा 13 की उप धारा (3) के अंतिम परन्तुक के स्थान पर यह परन्तुक प्रतिस्थापित किया जायेगा कि " परन्तु यह और कि सक्षम अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से छः माह की भीतर अनुमोदन या कारण अभिलिखित करते हुए इन्कार किया जाना आवश्यक होगा "	समयावधि में अनुमोदन करने अथवा कारण अभिलिखित करते हुए अनुमोदन से इन्कार करना अनिवार्य बनाये जाने हेतु	विलोपित	अनुदानित नहीं होने के कारण
14.	**मान्यता प्राप्त संस्था का बंद किया जानाः–**	————————————			
	(1) कोई भी मान्यता प्राप्त संस्था या उसकी कक्षा अथवा उसमें किसी भी विषय का अध्यापन सक्षम प्राधिकारी को लिखित रुप से कोई नोटिस दिये बिना बंद नही किया जायेगा। यह दर्शित किया जाना होगा की अध्ययन की उस अवशिष्ट सपूर्ण कालावधि में जिसके लिए कि विद्यार्थियों को भर्ती किया गया था, विद्यार्थियों का अध्यापन चालू रखने या छात्रों के संदत फीस के अवशिष्ट, यदि कोई हो, के प्रतिदाय के लिए पर्याप्त इतजांम कर लिये गये है। (2) उपधारा–1 के अधीन नोटिस की कालावधि इतनी होगी जितनी विहित की जावे और प्रत्येक पाठ्यक्रम की कालावधी को ध्यान में रखते हुए संस्थाओ की भिन्न भिन्न कक्षाओं के लिए नोटिस की भिन्न कालावधियां विहित की जा सकेगी।	धारा 14 की उपधारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "नोटिस दिये बिना" के पश्चात तथा अभिव्यक्ति "बंद नही किया जायेगा" से पहले अभिव्यक्ति " एवं उसका अनुमोदन प्राप्त किये बिना" अन्तःस्थापित की जायेगी। ————————	अनुमोदन आवश्यक बनाये जाने हेतु।	प्रबन्ध कार्यकारिणी के प्रस्ताव को मान्य किया जाये	स्वतः ही स्वीकृत
15.	**अन्तरण के लिए पूर्व अनुमोदनः–**	————————			
	(1) तत्समय प्रवृत किसी भी विधि में किसी बात के होते हुए भी किसी सहायता प्राप्त संस्था की किसी भी स्थावर संपति में से किसी भी अधिकार या हित का या उसके कब्जे का , विक्रय, बंधक प्रभार के रुप में या अन्यथा किया जाने वाला कोई भी अन्तरण शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी	धारा 15 की उपधारा (1) में अभिव्यक्ति "किसी बात के होते हुए भी किसी " के पश्चात अभिव्यक्ति " सहायता " के स्थान पर अभिव्यक्ति " मान्यता " प्रतिस्थापित की जायेगी।	सहायता/अनुदान बन्द होने तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के लिए संपति अन्तरण से पूर्व अनुमोदन अनिवार्य किये जाने हेतु।	विलोपित	

				संघ का प्रस्ताव	कारण
	अधिकारी को विहित रीति से आवेदन करने और लिखित पूर्वा अनुमोदन प्राप्त करने के सिवाय नही किया जावेगा। परन्तु जहा आवेदन करने की तारीख से छः मास के भीतर नहीं किया जावे, वहां ऐसा अनुमोदन किया हुआ समझा जावेगा।	धारा 15 की उपधारा (1) के परन्तुक के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जायेगा कि " परन्तु यह और कि सक्षम अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन माह की भीतर अनुमोदन करना या कारण अभिलिखित करते हुए उसका इन्कार किया जाना आवश्यक होगा"	समयावधि में अनुमोदन करने अथवा कारण अभिलिखित करते हुए अनुमोदन से इन्कार करने को अनिवार्य बनाये जाने हेतु		
	(2) उपधारा– (1) के उल्लघन में किया गया कोई भी अन्तरण शून्य होगा।	——————			
	(3)– यदि किसी सहायता प्राप्त संस्था के प्रबन्ध समिति का सचिव धारा 12 के अधीन विवरण में व्यतिक्रम करता है, ऐसा विवरण देता है जिसकी कोई तात्विक विशिष्ट मिथ्या व गलत है या उपधारा (1) के उल्लघन में कार्य करता है तो मंजूरी प्राधिकारी कारण बताने का एक अवसर देने के पश्चात संस्था की मान्यता को रोक सकेगा या बन्द या निलम्बित कर सकेगा।	धारा 15 की उपधारा (3) के प्रारंभ में अभिव्यक्ति "यदि किसी" के पश्चात अभिव्यक्ति " सहायता " के स्थान पर अभिव्यक्ति " मान्यता " तथा अभिव्यक्ति "उपधारा (1) के उल्लघंन में कार्य करता है तो" के पश्चात अभिव्यक्ति " मंजूरी प्राधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सक्षम प्राधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।	सहायता/अनुदान बंद होने के कारण।	विलोपित	
	(4) सहायता प्राप्त संस्था के बंद कर दिये जाने या चालू न रहने या उसकी मान्यता वापस ले लिये जाने की दशा में उसकी प्रबन्ध समिति का सचिव संस्था के समस्त अभिलेख, लेखे और सम्पतियों का प्रबन्ध कब्जा शिक्षा निदेशक द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी को सौप सकेगा।	धारा 15 की उप धारा (4) के प्रारंभ में अभिव्यक्ति " सहायता " के स्थान पर अभिव्यक्ति " मान्यता " प्रतिस्थापित की जायेगी।	सहायता/अनुदान बंद होने के कारण।		
	अध्याय–6 सेवा की शर्तें और अधिकरण				
16.	**राज्य सरकार की नियोजन के निबन्धनों और शर्तो को विनियमित करने की शक्तिः–**	——————			
	(1) राज्य सरकार राज्य में की सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के रुप में नियुक्त व्यक्तियों की अर्हता,	धारा 16 की उपधारा (1) के प्रारंभ में अभिव्यक्ति "राज्य सरकार राज्य में की" के पश्चात विद्यमान	सहायता/अनुदान बंद होने के कारण।	विलोपित	

				संघ का प्रस्ताव	कारण
	वेतन, उपादान, बीमा, सेवानिवृति की आयु, छुट्टी के हक आचरण और अनुशासन से संबंधित शर्तों के सहित भर्ती और सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगी। **परन्तु** इस अधिनियम के प्रारंभ के समय प्रदत सहायता– अनुदान नियमों के अधीन किसी विधमान संस्था के किसी कर्मचारी को प्रोदभूत होने वाले अधिकारों और फायदों को , ऐसे कर्मचारी के अहित में फेरफारित नही किया जावेगा। **परन्तु** यह और की ऐसा प्रत्येक कर्मचारी सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तो के लिए विकल्प देने का हकदार होगा जो इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व उस पर लागू थे। **परन्तु** यह भी किसी विहित सेवा निवृति आयु ध्यान दिये बिना 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात या 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, जो भी पहले हो ऐसे कर्मचारी के अनिवार्य सेवानिवृति के लिए ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जैसी विहित की जावे, कार्यवाही की जा सकेगी। (2) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था अपने कर्मचारियों के फायदे की लिए, ऐसी रीति और शर्तो के अध्याधीन रहते हुए, जैसी की विहित की जावे, एक भविष्य निधि का गठन करेगी और ऐसी निधि में अभिदाय और जमा रकम पर ब्याज का संदाय ऐसी दर से करेगी जो कि समय समय पर विहित की जावे।	अभिव्यक्ति " सहायता " के स्थान पर अभिव्यक्ति " मान्यता " प्रतिस्थापित की जायेगी। धारा 16 की उपधारा (1) के तीनो परन्तुक को विलोपित किया जायेगा। ————————	सहायता/अनुदान बंद होने के कारण।	विलोपित धारा 16 की उपधारा (1) के तीनों परन्तुक को विलोपित	
17.	**कर्मचारियों की भर्ती:–** किसी मान्यता प्राप्त संस्था के कर्मचारियों की भर्ती या तो दैनिक समाचार पत्रों में खुला विज्ञापन देकर या नियोजन कार्यालय द्वारा एसी रीति से जैसी की विहित की जावे, भेजे गये अभ्यर्थियों में से की जावेगी।	विलोपित कर निम्नांकित प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित हैं। मान्यता प्राप्त संस्था में भर्ती किये जाने वाले अध्यापक के लिये केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा घोषित शैक्षिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त	एन.सी.टी.ई द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुरुप शिक्षको की भर्ती से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। अनुदान	प्रबन्ध समिति को ही अधिकार दिया जाये	

				संघ का प्रस्ताव	कारण
		व्यक्ति ही पात्र होगें "	समाप्ति के कारण नियुक्ति में राज्य सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं हैं।		
18	**कर्मचारियों को हटाया जाना, पदच्युत व पदावन्त किया जाना–** ऐसे किन्ही नियमो के अध्याधीन रहते हुए जो कि इस निमित्त बनाये जाये कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था के किसी कर्मचारी को तब तक हटाया, पदच्युत किया जाना या पदावन्त किया नही किया जायेगा जब तक कि उसे किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध प्रबन्धक द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर न दे दिया गया हो; **परन्तु** इस संबंध में कोई भी अंतिम आदेश तब तक पारित नही किया जावेगा जब तक कि शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा निमित प्राधिकृत शिक्षा अधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त न कर लिया गया हो। **परन्तु** यह और कि यह धारा निम्न लिखित पर लागू नही होगी:– (i) किसी ऐसे व्यक्ति पर, जिसे ऐसे आचरण के आधार पर पदच्युत किया या हटाया जाता है जो कि किसी अपराधिक आरोप उसकी दोष– सिद्धि का कारण बना हो, या (ii) जहां उस कर्मचारी को कारण बताने का अवसर देना साध्य या समिचिन नही हो वहा कार्यवाही करने के पूर्व शिक्षा निदेशक की लिखित सहमति प्राप्त कर ली गई हो, या (iii) जहां प्रबन्धक समिति इस बात पर एकमत हो कि किसी कर्मचारी की सेवाऐं संस्था के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना चालू नहीं रखी जा सकती, वहा ऐसे	धारा 18 के अनुच्छेद दो की अभिव्यक्ति परन्तु इस सम्बन्ध में.......................... सम्मति प्राप्त की गई हैं। अन्त तक का विलोपित करना प्रस्तावित हैं।	अनुदान समाप्ति के कारण कर्मचारी को हटाने के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन आवश्यक नहीं हैं।	विलोपित	

				संघ का प्रस्ताव	कारण
	कर्मचारी की सेवाएें 6 मास का नोटिस या उसके बदले के वेतन देने के पश्चात समाप्त कर दी गई हो और शिक्षा निदेशक की लिखित सम्मति प्राप्त कर ली गई हो।				
19.	**अधिकरण को अपील:–**	————————		धारा 19 विलोपित	
	(1) यदि प्रबन्ध समिति धारा 18 के अधीन शिक्षा निदेशक द्वारा किये गये इन्कार के आदेश से व्यथित हो तो वह ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख के 90 दिन के भीतर भीतर धारा 22 के अधीन गठित अधिकरण को अपील कर सकेगी। (2) धारा 18 के अधीन किये गये प्रबन्ध समिति के किसी आदेश से व्यथित कोई कर्मचारी ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से 90 दिन के भीतर– भीतर उक्त अधिकरण को अपील कर सकेगा।	धारा 19(1) को विलोपित करना प्रस्तावित हैं।	अनुदान समाप्ति के कारण कर्मचारी को हटाने के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन आवश्यक नहीं हैं।		
20.	**कर्मचारियों द्वारा संविदाऐं:–** किसी मान्यता प्राप्त संस्था और किसी कर्मचारी के बीच की कोई संविदा, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व की गई हो या इसके पश्चात उस सीमा तक जिस तक यह इस अधिनियम के द्वारा या अधीन ऐसे कर्मचारी को प्रदत्त किसी भी अधिकार को छिनती हो, अकृत और शून्य होगी।	————————		विलोपित	
21.	**अधिकरण को आवेदन:–**	————————		सहमत	
	(1) जहां किसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रबन्ध और उसके किसी कर्मचारी के बीच में सेवा की शर्तो के संबंध में कोई विवाद हो, वहॉ प्रबधक या कर्मचारी विहित रीति से अधिकरण को आवेदन कर सकेगा और उस पर अधिकरण का विनिश्चिय अंतिम होगा। (2) उपधारा–(1) में निर्दिष्ट प्रकार का कोई विवाद और धारा 19 में निर्दिष्ट प्रकार की कोई अपील, जो कि इस अधिनियम में प्रारंभ से ठीक पूर्व राज्य सरकार	धारा 21(2) को विलोपित करना प्रस्तावित हैं।			

				संघ का प्रस्ताव	कारण
	या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के समक्ष लम्बित हो, ऐसे प्रारंभ के पश्चात यथाशक्य शीघ्र अधिकरण उसके निश्चय के लिए अन्तरित कर दी जावेगी।				
22.	**अधिकरण का गठन:–**	-------------------			
	(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक अधिकरणों का गठन किया जावेगा। (2) अधिकरण की अधिकारिता सम्पूर्ण राज्य ऐसे क्षेत्र पर होगी जिसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जावे। (3) राज्य सरकार अधिकरण का गठन करने के लिए जिला न्यायाधीश की रैंक न्यायीक अधिकारी नियुक्त करेगी।	-------------------		सहमत	
23.	**अधिकरण के कृत्य:–** अधिकरण धारा 19 के अधीन की गई अपीले और धारा 21 में निर्दिष्ट विवाद ग्रहण करेगा, उसकी सुनवाई और विनिश्चय करेगा।	-------------------		सहमत	
24.	**अधिकरण की प्रक्रिया:–** अधिकरण ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित करे।	-------------------		सहमत	
25.	**अधिकरण की शक्तियां:–**	-------------------			
	(1) अधिकरण को निम्नलिखित मामलों के संबंध में वैसी ही शक्तियां होंगी जैसी की सिविल प्रक्रिया संहिता– 1908 के अधीन किसी सिविल वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में विहित होती है, अर्थात – (क) किसी व्यक्ति को हाजिर करना और शपथ पत्र पर उसकी परीक्षा करना। (ख) दस्तावेजो और तात्विक वस्तुओं को पेश करने के लिए विवश करना।	-------------------		सहमत	

				संघ का प्रस्ताव	कारण
	(ग) साक्ष्यों को परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना। (घ) ऐसे अन्य मामले जो कि विहित किये जावें। (2) अधिकरण के समक्ष की प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता 1860, धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जावेगी।				
26.	**अधिकरण के विनिश्चिय का अंतिम होना:–** अधिकरण का विनिश्चिय अंतिम होगा और उसके द्वारा विनिश्चित मामलों के संबंध में किसी भी सिविल न्यायलय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही नही होगी।	————————		सहमत	
27.	**सिविल न्यायालयों के लिए वर्जन:–** किसी भी सिविल न्यायालय ऐसे किसी भी प्रश्न को तय या विनिश्चित करने या उस पर कार्यवाही करने की अधिकारिता नही होगी जिसका इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिकरण द्वारा तय या विनिश्चित किया जाना या कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।	————————		सहमत	
27 क.	**अधिकरण के आदेशों का निष्पादन:–** धारा 19 के अधीन की गई अपीलों और धारा 21 में निर्दिष्ट विवादों का विनिश्चय करने वाला इस स्थानीय क्षैत्र पर, जिसमें ऐसा प्रत्यार्थी, जिसके विरुद्ध आदेश किया गया है, मामूली तौर से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वंय काम करता है, क्षैत्रीय अधिकारिता रखने वाले सबसे निचले सिविल न्यायलय के डिक्री समझा जायेगा और ऐसे सिविल न्यायलय द्वारा उसी रुप में निष्पादित किया जावेगा।	————————		सहमत	
28.	**कर्मचारियें के लिए आचरण संहिता:–** किसी मान्यता प्राप्त संस्था का प्रत्येक कर्मचारी ऐसी आचरण संहिता से शासित होगा जो विहित की जाये और उसके द्वारा ऐसी संहिता के किसी भी उपबन्ध का	————————		सहमत	

				संघ का प्रस्ताव	कारण
	अतिक्रमण किये जाने पर ऐसा कर्मचारी अनुशासनिक कार्यवाही का भागी होगा।				
29.	**कर्मचारियों के वेतन और भत्ते:–**	——————————			
	(1) किसी सहायता प्राप्त संस्था के सभी कर्मचारियों के संबंध में वेतनमान और भत्ते प्रतिकारात्मक भत्तों को छोड़कर, सरकारी संस्थाओं में वैसे ही प्रवर्गो से संबंधीत कर्मचारियों के लिए विहित वेतनमानों और भत्तों से कम नही होगे।	धारा 29 की उपधारा (1) के प्रारंभ में अभिव्यक्ति ''किसी'' के पश्चात अभिव्यक्ति ''सहायता'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''मान्यता'' प्रतिस्थापित की जायेगी तथा विद्यमान अभिव्यक्ति ''प्रतिकारात्मक भत्तो' को छोड़कर' को विलोपित की जायेगी।	सहायता/ अनुदान बंद होने के कारण	विलोपित	
	(2) किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी , किसी मान्यता प्राप्त संस्था से किसी कर्मचारी का इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात की किसी भी कालावधि का वेतन उस मास से, जिसके या जिसके किसी भाग के संबंध में यह संदेह है, ठीक अगले मास के 15 वें दिन या ऐसे किसी पूर्ववर्ती दिन को, जिसे की राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियत करे, समाप्ति के पूर्व प्रबन्ध द्वारा उसे संदत किया जायेगा। परन्तु यदि किसी भी समय राज्य सरकार उचित समझे तो वेतन और भत्तो के संदाय के लिए भिन्न प्रक्रिया विहित कर सकेगी। (3) वेतन उन कटौतियों को छोड़कर, जो कि इस अधिनियम के अधिन बनाये गये नियमो द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत है, किसी भी भांति की कटौतियां किये बिना संदत किया जायेगा।	धारा 29(2) व (3) को विलोपित किया जाना प्रस्तावित हैं। ——————————		धारा 29 की उपधारा (2) व (3) को विलोपित	
30.	**वेतन के संदाय का निरीक्षण–** जिला शिक्षा अधिकारी या शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी जो उक्त अधिकारी से नीचे की रैंक का न हो, इस अधिनियम के प्रयोजनो के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था का किसी भी समय निरीक्षण कर या करवा सकेगा या कर्मचारियों के वेतन से संबंधित	अभिव्यक्ति ''निरीक्षण कर या करवा सकेगा'' को ''निरीक्षण कर सकेगा'' प्रतिस्थापित कर आगे की अभिव्यक्ति को विलोपित किया जाना प्रस्तावित हैं।	अनुदान बंद करने के कारण	विलोपित	

				संघ का प्रस्ताव	कारण
	ऐसी सूचना का अभिलेख (रजिस्टरों, लेखा पुस्तको, वाउचरों आदि को सम्मिलित करते हुए) उसके प्रबन्ध से मांग कर सकेगा या कर्मचारियों को वेतन का नियमित रुप से संदाय करने में प्रबन्ध को समर्थ बनाने के लिए वित्तीय मामलों के (जिसमें किसी अध्याय का प्रतिषेध सम्मिलित है) उचित प्रबन्ध के लिए ऐसे प्रबन्ध को कोई ऐसा निर्देश दे सकेगा जो यह उचित समझे और प्रबन्ध ऐसे निर्देशो का पालन करेगा।				
31.	**वेतन का संदायः–**	————————			
	(1) सहायता प्राप्त संस्था प्रबन्ध अपने कर्मचारियों के वेतन का समवितरण एकाउन्ट पेयी चैको द्वारा करेगा, परन्तु शिक्षा निदेशक, विशेष परिस्थितियों में, कर्मचारियों के वेतन का संवितरण ऐसी किसी भी रीति से, जो वह उपयुक्त करने के लिए साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगा। (2) किसी सहायता प्राप्त संस्था के कर्मचारियों के वेतन का संदाय उपधारा (1) में या धारा 29 में निर्दिष्ट रुप से करने में प्रबन्ध के विफल रहने की दशा में शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी आगामी सहायता अनुदान के रुप में संदेय रकम में से या , यदि आवश्यक हो तो किसी भी पश्चातवर्ती सहायता अनुदान में से, ऐसे वेतन की कटौती कर सकेगा और प्रबन्ध की ओर से कर्मचारियों को ऐसे वेतन संदाय कर सकेगा।ऐसा संदाय उस संस्था के प्रबन्ध को ही किया गया धन संदाय समझा जायेगा।	धारा 31 की उपधारा (1) के प्रारंभ में विद्यमान अभिव्यक्ति ''सहायता'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''मान्यता'' प्रतिस्थापित की जायेगी। ''चैकों द्वारा करेगा'' के बाद अंकित अभिव्यक्ति को विलोपित किया जाना प्रस्तावित हैं। धारा की 31 की उपधारा (2) को विलोपित किया जायेगा।	सहायता/ अनुदान बंद होने व मान्यता प्राप्त संस्थाओं में वेतन भुगतान में पारदर्शिता लाने हेतु। वर्तमान में सहायता/ अनुदान बंद होने से उक्त प्रावधान का औचित्य नही होने के कारण।	विलोपित धारा 31 की उपधारा (2) को विलोपित	
32.	**सहायता प्राप्त संस्थाओं से शोध्य रकमों की**				

				संघ का प्रस्ताव	कारण
	वसूलियां:–				
	(1) जहां इस अधिनियम के प्रारंभ पर या तत्पश्चात् किसी भी करार, स्कीम या अन्य ठहराव के अनुसरण में ऐसे करार, स्कीम या ठहराव द्वारा नियतमान के अनुसार किसी सहायता प्राप्त संस्था के प्रबन्ध द्वारा उसके कर्मचारियों को कोई वेतन या अन्य देय संदेय हो, वहां जिला शिक्षा अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी प्रबन्ध समिति के सचिव को इस प्रकार संदेय रकम अपने पास जमा कराने का निर्देश लिखित आदेश द्वारा देय सकेगा। (2) उप धारा– (1) के अधीन आदेश करने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी कर्मचारी को संदेय रकम के बारे में ऐसी रीति से जांच करेगा, जो विहित की जावें। (3) उपधारा– (1) के अधीन किये गये आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे अधिकारी को, जिसे शिक्षा निदेशक द्वारा इस निमित सशक्त किया जावें, ऐसे समय के भीतर भीतर और ऐसी रीति से की जा सकेगी जो विहित की जावे। (4)– जिला शिक्षा अधिकारी के आदेशो के अधीन या जहां अपील की गई हो वहां, अपील में आदेश करने वाले अधिकारी के आदेशों के अधीन प्रबन्ध से शोध्य कोई भी धन राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अधीन भूराजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगा। ऐसा धन राज्य सरकार द्वारा प्रबन्ध को देय किसी भी राशि से मुजरा करके भी वसूल किया जा सकेगा। इस उपधारा के अधीन जमा कराई या वसूल की गई कोई भी रकम संबंधित कर्मचारी को संदत्त की जायेगी।	उपधारा (1)(2),(3)(4) को विलोपित किया जाना प्रस्तावित है।	सहायता/ अनुदान बंद होने के कारण	धारा 32 की उपधारा (1)(2)(3)(4) को विलोपित	
	(5) इस अधिनियम के प्रारम पर या तत्पश्चात राज्य	धारा 32 की उपधारा (5) के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जायेगा कि '' इस अधिनियम के प्रारंभ पर या तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा संस्था	आर.टी.ई. प्रावधानानुसार फीस पुर्नभरण राशि का	उपधारा 5 भी विलोपित	

				संघ का प्रस्ताव	कारण
	सरकार द्वारा दी गई किसी सहायता या संदत अनुदान को राज्य सरकार को देय कोई रकम प्रबन्ध से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रुप में वसूलीय होगी।	को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (2) के प्रावधानान्तर्गत पुनर्भरण की गई राशि या अन्य कोई राशि जो संस्था से वसूली योग्य पाई जाती है तो उक्त राशि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रुप में वसूलीय होगी।	अधिक / गलत भुगतान होने पर वसूली का प्रावधान करना		
	अध्याय–7 अपराध और शास्तियाँ				
33.	**नोटिस दिये बिना और सक्षम प्राधिकारी का समाधान किये बिना मान्यता प्राप्त संस्था के अन्तरण या बन्द किये जाने के कारण शास्तिः–** कोई भी व्यक्ति, जो धारा 13 या धारा 14 का उल्लंघन करता है या जहां कोई ऐसा उल्लघंन किसी संगम द्वारा किया जाता है वहां ऐसे संगम की प्रबन्ध समिति का प्रत्येक सदस्य, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा। परन्तु प्रबन्ध समिति को ऐसा सदस्य जिसने इसमें भाग नही लिया हो या जो ऐसे निर्णय से सहमत न हुआ हो इस धारा के अधीन किसी शास्ति का भागी नही होगा।	धारा 33 में अभिव्यक्ति " एक हजार" के स्थान पर अभिव्यक्ति " दस हजार" प्रतिस्थापित की जायेगी।	छात्र हित में दण्ड में वृद्धि का प्रावधान		
34.	**सचिव के कर्तव्यों का निर्वहण न करने के कारण शास्तिः–** कोई व्यक्ति जो धारा 9 की उपधारा (3) या धारा 12 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या, जहां ऐसी कोई उल्लंघन किसी संगम द्वारा किया जाता है वहां, ऐसे संगम की प्रबन्ध समिति का प्रत्येक सदस्य, दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा: परन्तु प्रबन्ध समिति का ऐसा सदस्य जिसने भाग नही लिया हो या ऐसे निर्णय से सहमत न हुआ हो, इस	धारा 34 में अभिव्यक्ति "एक हजार" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दस हजार" प्रतिस्थापित की जायेगी।	छात्र हित में दण्ड में वृद्धि का प्रावधान		

				संघ का प्रस्ताव	कारण
	धारा के अधीन किसी शास्ति का भागी नहीं होगा।				
35.	**परिवाद का संज्ञान–** कोई भी न्यायलय इस अध्याय में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का संज्ञान शिक्षा निद्रेशक या उसके द्वारा इस निमित संशक्त किसी अधिकारी के लिखित परिवाद के सिवाय नही करेगा।	————————			
36.	**सरकार की पुनर्विलोकन की शक्ति–** इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, स्वप्रेरण से या अन्यथा, मामले का अभिलेख मंगाकर धारा 6 के अधीन या धारा 7 की उपधारा (6) के अधीन किसी प्राधिकारी किसी प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी, और (क) आदेश को पुष्ट उपान्तरित या अपास्त कर सकेगी, (ख) मामले को, उस प्राधिकारी को, जिसने आदेश दिया है, आगे ऐसी कार्यवाही करने का निर्देश देते हुए भेज सकेगी जो वह उचित समझे, या (ग) ऐसे आदेश दे सकेगी जो वह उपयुक्त समझे, परन्तु इस धारा के अधीन कोई अन्तिम आदेश तब तक नही दिया जायेगा जब तक कि व्यथित पक्षकार को कारण बताने का कोई उचित अवसर नही दिया जावे।	धारा 36 में अभिव्यक्ति "धारा 6 के अधीन" के पश्चात अभिव्यक्ति " या धारा 7 की उपधारा (6) के अधीन" विलोपित की जायेगी।	सहायता / अनुदान बंद होने के कारण		

अध्याय–8 प्रकीर्ण				संघ का प्रस्ताव	कारण
37. ✓	**कठिनाईयों का निराकरण–** यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यन्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, राज–पत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे निर्देश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों के असंगत न हो और जो ऐसी कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनो के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, **परन्तु** इस धारा के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग इस अधिनियम के पवृत होने की तारीख से तीन वर्ष बीत जाने के पश्चात् नही किया जायेगा।	✓ ✓ ✓ ————————	✓		
38.	**अधिकारियों का लोक सेवक होना:–** इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किन्ही भी नियमों या किये गये आदेश के अधीन अधिरोपित किसी भी कृत्य का पालन या किसी भी कर्तव्य का निर्वहण करने के लिए सरकार द्वारा सम्यक् रुप से प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी या प्राधिकारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।	————————			
39.	**अधिनियम के अधीन किये गये कार्यो का परित्राण:–** इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों को कार्यन्वित करने में किये गये या किये जाने के लिए तात्पर्यित किसी भी कार्य के कारण या की गई किसी भी कार्यवाही के कारण हुए किसी भी नुकसान के कारण राज्य सरकार के विरुद्ध या राज्य सरकार के किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नही हो सकेगी।	————————			

				संघ का प्रस्ताव	कारण
40.	**अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना–** इस अधिनियम के उपबन्ध, किसी भी विधि के आधार पर प्रभावी किसी भी लिखित में किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होगें।	------------------------------			
41.	**न्यायालयों द्वारा व्यादेश का न दिया जाना–** सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या तत्समय प्रवृत किसी भी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय ऐसी किसी भी कार्यवाही को, जो कि इस अधिनियम के अधीन की जा रही है, या की जाने वाली है, अवरुद्ध करने के लिए कोई भी अस्थाई आदेश या कोई भी अंतरिम आदेश नही देगा।	------------------------------			
42.	**शक्तियों का प्रत्यायोजनः–** शिक्षा विभाग के किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी का इस अधिनियम द्वारा उसमे निहित सभी या कोई भी शक्तियां राज–पत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्यायोजित करना या इस प्रकार प्रत्यायोजित कोई भी शक्ति वापस लेना राज्य सरकार के लिए विधि पूर्ण होगा।	------------------------------			
43.	**नियम बनाने की शक्तिः–**	------------------------------			
	(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए प्रर्योजनार्थ नियम बना सकेगी। (2) विशेषतः और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा– (क) गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता देने के लिए निबंन्ध और शर्ते। (ख) मान्यता प्राप्त संस्थाओं का अनुरक्षण (ग) मान्यता प्राप्त संस्थाओं को सहायतार्थ अनुदान देना। (घ) मान्यता प्राप्त संस्थाओं में फिस का उदग्रहण,	------------------------------ धारा 43 की उपधारा (2) (ग) को विलोपित किया जायेगा	सहायता/ अनुदान बंद	धारा 43 की उपधारा (2) (ग) में मान्यता प्राप्त संस्थाओं को... के बाद “राज्य सरकार के शिक्षा के बजट का 20 प्रतिशत” जोडा जाये।	विद्यालयों का आर्थिक कारणों से संचालन दूभर होने के कारण

vÌÁÜÌÁÜÙÂßßà
ØàâØædfghjdfyl’’

				संघ का प्रस्ताव	कारण
	विनियम और संग्रहण (ङ) मान्यता प्राप्त संस्थाओं में फिस की दरों में विनियमन। (च) नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रुप से पिछडे हुए वर्गो तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की प्रगति के लिए विशेष उपबन्ध करके ऐसी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में के प्रवेश को विनियमित करना जो राज्य निधियों से सहायता प्राप्त कर रही हैं।	धारा 43 की उपधारा (2) (च) में विद्यमान अभिव्यक्ति "जो राज्य निधियों से सहायता प्राप्त कर रही है" विलोपित की जायेगी। धारा 43 उपधारा (2) (छ) में अभिव्यक्ति "सहायता" के स्थान पर अभिव्यक्ति " मान्यता " प्रतिस्थापित की जायेगी।	होने के कारण वर्तमान में प्रासंगिक नही राज्य सरकार को शक्ति प्रदान करने हेतु		
	(छ) वह रीति, जिससे सहायता प्राप्त संस्थाओं में लेखे, रजिस्टर या अभिलेख रखें जायेंगे और ऐसे अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी । (ज) मान्यता प्राप्त संस्थाओं की प्रबन्ध समिति के सचिवों के द्वारा विवरणीया, विवरणों, रिपोर्टों और लेखों का प्रस्तुतीकरण। (झ) मान्यता प्राप्त संस्थाओं का निरीक्षण और वह अधिकारी जिसके द्वारा निरीक्षण किया जावेगा। (ञ) मान्यता प्राप्त संस्थाओं के लेखे रखने और उनकी संपरीक्षा करने का ढंग। (ट) शिक्षा का स्तर और पाठ्यक्रम। (ठ) इस अधिनियम द्वारा विहित किये जाने के लिए अभिव्यक्त रुप से अपेक्षित या अनुज्ञात सभी विषय।		सहायता / अनुदान बंद होने के कारण	धारा 43 की उपधारा (2) (घ) (ड़)(छ)(ज)(ञ) को विलोपित	

	(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कम से कम 14 दिन की कालावधि के लिए जो एक सत्र मे या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेगे और यदि उस सत्र के जिसमें वे इस प्रकार रखे गये है या ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व राज्य विधान मण्डल का सदन ऐसे किसी भी नियम में कोई उपान्तर करें अथवा ऐसा संकल्प करे कि ऐसे कोई नियम नही बनाये जाने चाहिये तो तत्पश्चात ऐसे नियम ऐसे उपान्तरित रुप में प्रभावशील या यथास्थिति, प्रभाव शून्य होगे किन्तु ऐसा कोई उपान्तरण या बातिलकरण तद्धीन पहले से की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।		छात्र हित में कोंचिग संस्थानों के विनियमन हेतु।

(सत्यव्रत सामवेदी)
अध्यक्ष
स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ, राजस्थान
98290-52697

(किशन मित्तल)
मंत्री
स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ, राजस्थान
98295-23349